

भारत ग्रामीण

सभी विश्लेषण 14283 विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है। 583 में से 558 ज़िले

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की गारंटी करता है। इस अधिकार को पूरा करने के लिए यह अधिनियम अपेक्षा करता है कि सभी विद्यालय दिए गए मानकों का अनुपालन करें। विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे तीन वर्षों के भीतर इन मानकों को पूरा करें।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची से प्राप्त।

विद्यालय के लिए मान और मानक। भारत का राजपत्र, अगस्त 27, 2009

कक्षा 1–5 में शिक्षकों की संख्या:

नामांकित छात्र	शिक्षकों की संख्या
<= 60	2
61–90	3
91–120	4
121–200	5
> 150	5 + 1 मुख्य अध्यापक
> 200	छात्र शिक्षक अनुपात (मुख्य अध्यापक को छोड़कर)
	40 से अधिक नहीं होना चाहिये

स्कूली सुविधाएं

सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

- हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा
- कार्यालय—सह भंडार—सह मुख्य अध्यापक कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए अलग—अलग शौचालय
- सभी बच्चों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा
- एक रसोई जहाँ विद्यालय में मध्यान भोजन पकाया जाता है
- खेल का मैदान
- सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थायें

शिक्षण अधिगम उपकरण

आवश्यकता अनुसार हर कक्षा को दिए जायेंगे

पुस्तकालय

हर विद्यालय में एक पुस्तकालय हो जो बच्चों को अखबार, पत्रिकाएं तथा सभी विषयों पर किताबें (जिसमें कहानी की किताबें सम्मिलित हैं) प्रदान करता हो।



नोट : कक्षा VI से VIII के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए तथा छात्र शिक्षक अनुपात 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ बच्चों का नामांकन 100 बच्चों से अधिक है, वहाँ एक पूर्ण कालिक मुख्य अध्यापक और कला शिक्षा, स्वास्थ्य / शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंश कालिक शिक्षक होने चाहिए।

ऊपर उल्लेखित मानकों के अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य दिवस / शिक्षण घंटे और एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे के लिए भी मानक निर्दिष्ट करता है।

असर 2010 और 2011 के अन्तर्गत इन सूचकों पर आँकड़े एकत्रित नहीं किए गए।

असर के बारे में

असर सर्वेक्षण के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, हर सैम्प्ल किए गए गाँव में प्राथमिक कक्षाओं वाले एक सरकारी विद्यालय का अवलोकन किया जाता है। विद्यालय अवलोकन के दौरान शिक्षा के अधिकार के सूचकों पर आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों और छात्रों की सर्वेक्षण के दिन उपस्थिति की जानकारी और विद्यालय अनुदान संबंधित आँकड़े दर्ज किए जाते हैं। यह रिपोर्ट 2010 और 2011 में किए गए विद्यालयों के दौरां पर आधारित है।

हर वर्ष असर सर्वेक्षण सितम्बर और नवम्बर के बीच किया जाता है। 2010 में, 14240 सरकारी विद्यालयों का दौरा किया गया। 2011 में, 14283 सरकारी विद्यालयों का दौरा किया गया।

